016

E-MAIL

बिहार सरकार

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक-प्र06-बी0पी0एल0-01/2010 4086 /खाद्य, पटना/दिनांक- 17.5.2011

प्रेषक,

त्रिपुरारि शरण,
प्रधान सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी ।

विषयः- **बढ़े हुए बी0पी0एल0 एवं ए0पी0एल0 परिवारों को राशन कार्ड की आपूर्ति के सम्बन्ध में ।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि ग्रामीण विकास विभाग द्वारा सर्वेक्षित पारिवारिक सूची के विरूद्ध जून, 2008 में प्राप्त आपत्तियों/आवेदन के निष्पादनों के पश्चात् ग्रामीण बी0पी0एल0, ए0पी0एल0 परिवारों की संख्या संशोधित की गई है । ग्रामीण विकास विभाग के पत्र संख्या- 3552 दिनांक- 31.03.2011 के साथ प्राप्त बी0पी0एल0, ए0पी0एल0 परिवारों की जिलावार संशोधित संख्यात्मक विवरणी इसके साथ संलग्न है । उक्त विवरणी से स्पष्ट होगा कि बी0पी0एल0 एवं ए0पी0एल0 परिवारों की संख्या में वृद्धि हुई है । बढ़े हुए परिवारों की संख्या के अनुसार राशन एवं किरासन कूपन की आपूर्ति की जा रही है । इन परिवारों को राशन कार्ड भी उपलब्ध कराना होगा ।

इस संदर्भ में कहना है कि विभागीय पत्रांक- 5052 दिनांक- 25.08.2010 द्वारा ग्रामीण विकास विभाग के प्रतिवेदन दिनांक- 30.04.2010 द्वारा संशोधित पारिवारिक संख्या के आलोक में स्थानीय स्तर पर राशन कार्ड का मुद्रण कराकर बढ़े हुए परिवारों को उपलब्ध कराने का निदेश पूर्व में दिया गया था । चूंकि परिवारों की संख्या में पुनः वृद्धि प्रतिवेदित हुई है । अतएव अनुरोध है कि उपर्युक्त विभागीय निदेश के आलोक में बढ़े हुए परिवारों को भी स्थानीय स्तर पर मुद्रण कराकर राशन कार्ड की आपूर्ति कर दी जाय ।

उल्लेखनीय है कि लोक सेवा की गारंटी देने संबंधी अधिनियम राज्य में शीघ्र ही लागू होना है । राशन कार्ड की आपूर्ति को भी इस अधिनियम की परिधि में रखा जा रहा है तथा प्रस्तावित अधिनियम में इसके लिए 30 दिन के समय-सीमा का निर्धारण भी किया गया है । ऐसी स्थिति में मांग करने पर वैसे परिवारों को भी राशन कार्ड की आपूर्ति वाध्यकारी हो जाएगा जिनका नाम सर्वेक्षित परिवारिक सूची में किसी कारणवश दर्ज नहीं हो पाया हो ।

अतएव इस बात को ध्यान में रखते हुए बढ़े हुए परिवारों के लिए अपेक्षित संख्या में राशन कार्ड का मुद्रण कराया जाय ताकि निर्धारित अवधि के अन्तर्गत राशन कार्ड की आपूर्ति की जा सके ।

विश्वासभाजन,

13/05/2011

प्रधान सचिव ।

D:\Drive_F\Year.-2011\Years 2009\Ration_Card.doc